



भारत सरकार / Government of India
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry
विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (East), Mumbai - 400 096
टेलि. / Tele. : 022-28294756 फैक्स / Fax : 28291385,
ई-मेल / E-mail: dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in



सं. सीपज़-सेज़/प्रशा./10/2001-02/वॉल्यू-IV/06258

दिनांक २५/05/2020

कार्यालय आदेश सं. 174/2020

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5 के उप खंड 2 के संदर्भ में, श्री अनिल चौधरी, विनिर्दिष्ट अधिकारी, सीपज़-सेज़ को आरटीआई मामले निपटाने हेतु केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

यह सक्षम प्राधिकारी, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रा. हरीश चौधरी)

सहा. विकास आयुक्त/प्रशा.
सीपज़-सेज़

प्रतिलिपि:

1. उप रजिस्ट्रार (वीएन), केंद्रीय सूचना आयोग, सीआयसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनीरका, नई दिल्ली - 110067।
2. श्री डी.के. सोलंकी, अवर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, सेज़ प्रशा. अनुभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011।
3. विआका/संविआका
4. श्री अनिल चौधरी, विनिर्दिष्ट अधिकारी, सीपज़-सेज़।
5. विकास आयुक्त कार्यालय, सीपज़-सेज़ के सभी अधिकारी/कर्मचारी।
6. अभिलेखपाल, सीपज़-सेज़।
7. आशटी अनुभाग ... कार्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
8. कार्यालय आदेश फाइल/रजिस्टर।